फर्द अहकाम

अज अदालत संभागीय आयुक्त जोधपुर

प्रशान्त चौधरी पुत्र गिरधारीराम बनाम आलम मूंढ पुत्र ताजाराम वगैराह

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 75 राज0भू राजस्व अधि0 राजस्व अपील संख्या 751/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02—07—2025	पत्रावली अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 13.05.2025 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र बाबत राजीनामा के अनुसार अपील को जरिये विड्रो करने, पर निर्णय हेतु रखी हुई थी, जो आज पेश हुई। अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 13.05.2025 को एक प्रार्थना पत्र बाबत अपील को जरिये विड्रो करने का पेश करते हुए यह कथन किया गया कि हस्तगत अपील अपीलान्ट के द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 व अन्य के विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा द्वारा प्रकरण संख्या 179/2024 (2024/282) अनवान आलम मुंढ बनाम महेन्द्रसिंह वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 28.1.2025 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत इस अपील को अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या एक इस प्रार्थना पत्र में आपसी सहमति के आधार पर जरिये विड्रो निस्तारित करवाना चाहता है क्योंकि प्रश्नगत भूमि में अपीलान्ट एवं रेस्पो0 संख्या एक की भूमि के बीच बनी दीवार को यथावत रूप से स्वीकार कर अपीलान्ट की भूमि की तरफ किसी प्रकार का सीमा—ज्ञान नहीं करवाना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र के अनुसार उपरोक्त अपील को जरिये विड्रो निस्तारण करने का आदेश फरमावें। रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये तथ्यों/कथनों पर अपनी सहमति जताई तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति नहीं की। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का बगौर अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर रेस्पो0 संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता की सहमति के आधार पर अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.05.2025 को लोक अदालत की भावना से स्वीकार किया जाकर अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना इस अपील को और अधिक विचाराधीन नहीं रखते हुए अपील जरिये प्रार्थना पत्र द्वारा अपीलान्ट बाबत विड्रो के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।	

संभागीय आयुक्त
जोधपुर